

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक 645 / सात-पं0 / स्था0 / एन0जी0टी0 / 2025-26

दिनांक- 20/05/2025

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में Mise Application in Disposed of cases no. 11/2025, In Original Application no. 588/2024, Abid v/s state of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक-21.01.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में Mise Application in Disposed of cases no. 11/2025, In Original Application no. 588/2024, Abid v/s state of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक-21.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसका परिपालन में कार्यवाही करते हुए एक माह में वस्तुस्थिति एवं Action takler report से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

तत्कम अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-1206/एन-61/जनरल-2025 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा उप जिलाधिकारी, धामपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर एवं खण्ड विकास अधिकारी, नहतौर को ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू विकास खण्ड नहतौर जनपद बिजनौर से सम्बन्धित प्रकरण की संयुक्त जांच कर जांचाख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी, धामपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-2476/उ0जि0अ0-एस0टी0-2025 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू विकास खण्ड नहतौर के तालाब के पानी से प्रदूषण सम्बन्धित एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, धामपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, नहतौर द्वारा संयुक्त रूप से जांचाख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि "तहसील धामपुर के ग्राम नरगदी गन्धू के खसरा संख्या 169 एवं 182 में तालाब के आस-पास स्थित गांव के घरों का घरेलू जल-मल/सीवेज का पानी ताला में न जाये इस हेतु ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू द्वारा प्रथक से नाली का निर्माण करा दिया गया है, जिसमें दो स्थानों पर सिल्ट केचर भी बनाये गये हैं तथा उक्त नाली पूर्व से निर्मित मुख्य नाले से जोड़ दी गयी है, जिससे मौके पर अब नाली के माध्यम से घरों से निकले जल-मल/सीवेज पानी की निकासी सूचारू रूप से हो रही है। ग्राम नरगदी गन्धू के घरों का घरेलू जल-मल/सीवेज का पानी प्रश्नगत तालाब में अब नहीं जा रहा है। तालाब के पानी का सैम्पल अधिशासी अभियन्ता, जल निगम बिजनौर के द्वारा टैस्टिंग हेतु लिया गया था, जिसमें टैस्टिंग के उपरान्त तालाब के पानी में कैसर फैलाने वाला बैक्टीरिया नहीं पाया था (टैस्टिंग रिपोर्ट संलग्न है)। ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा बताया गया कि विगत 2-3 वर्षों से ग्राम में कैसर की बीमारी सम्बन्धी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। पूर्व में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कैसर से हुई है, जो अन्य कारणों से होने की सम्भावना बतायी गयी है। तालाब के आस-पास स्थित घरों जल-मल/सीवेज के पानी की निकासी हेतु बनायी गयी नाली की नियमित सफाई करायी जा रही है, जिससे घरों का गन्दा पानी तालाब में नहीं जा रहा है। वर्षा ऋतु में तालाब के चारों ओर वृक्षा रोपण कराया जाना भी प्रस्तावित है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-603/सात-पं0/शि0-जांच/2025-26 दिनांक 16 मई, 2025 के द्वारा 11 सदस्यों (01-मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर, 02-अध्यक्ष, आई0एम0ए0, बिजनौर, 03-उप कृषि निदेशक, बिजनौर, 04-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बिजनौर, 05-अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद, 06-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बिजनौर, 07-उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र, बिजनौर, 08-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर, 09-मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिजनौर, 10-सहायक निदेशक मत्स्य बिजनौर एवं 11-श्री दीपक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कैमिस्ट्री डिपार्टमेन्ट, विवेक कॉलेज, बिजनौर) की एक कमेटी गठित करते हुए ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू में दिनांक 19.05.2025 को कैसर की बीमारी के कारण 30 माह से कैसर की बीमारी से 18 व्यक्तियों की मौत के सम्बन्ध में कैंप में विश्लेषण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में उक्त 11 सदस्यों की कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू विकास खण्ड नहतौर में दिनांक 19.05.2025 को कैंप लगाते हुए कैंप कार्यवृत्ति उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू विकास खण्ड नहतौर जनपद बिजनौर में कैसर की बीमारी से 18 व्यक्तियों की मृत्यु सम्बन्धी प्रकरण में एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.01.2025 के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, महोदया जनपद बिजनौर के कार्यालय पत्रांक 603/सात-पं0 शि07जांच/ 2025-26 दिनांक 16.05.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 19.05.2025 को प्रातः 10 बजे से ग्राम नरगदी गन्धू के पंचायत

भवन में ग्रामवासियों की उपस्थिति में एक कैंप का आयोजन किया गया जिसमें सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण द्वारा अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर ग्रामवासियों से वार्ता कर चर्चा की गयी। ग्रामवासियों की समस्या को सुना गया विभागवार कैंप में कृत कार्यवाही की आख्या निम्न है:-

01-स्वास्थ्य विभाग:-स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर, जिला मलेरिया अधिकारी, बिजनौर चिकित्सकों की टीम के साथ कैंप में उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी कि ग्राम में 18 लोगों की मृत्यु कैंसर से होना बताया जा रहा है जबकि स्वास्थ्य विभाग में सर्वे में कैंसर से मृत्यु संबंधी 02 लोगों की रिपोर्ट ही मिल पायी है मृतकों में अधिकांश 50-55 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे। मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर एवं टीम के सदस्यों के द्वारा कैंसर की बीमारी के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी तथा मौके पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।



02-कृषि विभाग:-कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा उपस्थित रहे। सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा के द्वारा पेष्टिसाइड/कीटनाशकों के फसलों में प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तार से प्रयोग करने के लिए कहा गया। फसलों में जैविक खाद का अधिकाधिक उपयोग प्रोत्साहन हेतु कहा गया।

03-पशु चिकित्सा विभाग:-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर तथा पशु चिकित्सा अधिकारी, नहटौर उपस्थित रहे उनके द्वारा पशुओं की बीमारी व उपचार आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए ग्रामवासियों से पशुओं के सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण हेतु सम्पर्क करने के लिए कहा गया।

04-भूगर्भ जल विभाग:-श्री विवेक कुमार अवर अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग मुरादाबाद के द्वारा भूगर्भ जल के सम्बन्ध में वार्ता की गयी उनके द्वारा बताया गया कि तालाब में मछली पालन होना भूगर्भ जल दूषित होने का कोई कारण नहीं होता है।

05-जल निगम:-श्री अक्षय कुमार सहायक अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि हैण्डपम्पों तथा तालाब आदि के पानी का परीक्षण कराया गया है। परीक्षण सभी पैरामीटर मानक के अनुसार पाये गये तथा किसी भी प्रकार का कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व नहीं पाये गये। साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि ग्राम नरगदी गन्धु में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा स्वच्छ पेयजल की सप्लाई ग्राम नरगदी गन्धु में आरम्भ करा दी गयी है। इस प्रकार ग्राम नरगदी गन्धु के ग्रामवासियों को पेयजल टंकी से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति आरम्भ हो गयी है।



06-जल निगम:—श्री अक्षय कुमार सहायक अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि हैण्डपम्पों तथा तालाब आदि के पानी का परीक्षण कराया गया है। परीक्षण सभी पैरामीटर मानक के अनुसार पाये गये तथा किसी भी प्रकार का कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व नहीं पाये गये। साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि ग्राम नरगदी गन्धु में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एक सप्ताह के भीतर पानी की सप्लाई शुरू करा दी जायेगी। इस प्रकार ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल की सप्लाई सुचारु हो जायेगी।

07-उद्योग विभाग:—उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमीयता प्रोत्साहन केन्द्र बिजनौर से सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से संदीप कुमार उपस्थित रहे। इनके द्वारा जानकारी दी गयी कि ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु के आस-पास कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है तथा औद्योगिक प्रदूषण नहीं है।

08-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर:—प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर से आशीष शर्मा, अवर अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम नरगदी गन्धु के आस-पास कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है न ही कोई औद्योगिक प्रदूषण की समस्या है।

09-खाद्य सुरक्षा विभाग:—श्री नरेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे जिनके द्वारा ग्राम वासियों को जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग न करने एवं पान, बीडी, गुटखा तम्बाकू से परहेज रखने के निर्देश दिये तथा ग्रामवासियों को बताया कि घर का स्वच्छ एवं ताजा भोजन करने से कैंसर रोगों से बचा जा सकता है।

10-मत्स्य विभाग बिजनौर:—श्री अरुण कुमार, मत्स्य विभाग के द्वारा बताया गया कि मछली पालन से तालाब का पानी स्वच्छ होता है तथा मछली पालन वाले तालाब के पानी से कैंसर की बीमारी होना सम्भावित नहीं है।

11-श्री दीपक कुमार अस्टिन्ट प्रोफेसर कैम्पेस्ट्री डिपार्टमेंट विवेक कॉलेज बिजनौर उपस्थित रहे जिनके द्वारा ग्राम नरगदी गन्धु में लगे दो मोबाईल सिग्नल टॉवरों के सम्बन्ध में ग्रामीणों के बताने पर मौके पर निरीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मोबाईल सिग्नल टॉवरों से कैंसर बीमारी के सम्बन्ध में कोई भूमिका नहीं है। जल निगम विभाग द्वारा तालाब के पानी का परीक्षण रिपोर्ट को भी श्री दीपक कुमार के द्वारा देखा गया। रिपोर्ट में ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिसमें तालाब के पानी से कैंसर की बीमारी सम्भावित हो। ग्रामवासियों द्वारा भविष्य में तालाब का मछली पालन का पट्टा न करने तथा तालाब का पानी वर्ष में एक बार पूर्ण रूप से निकालने के लिए कहा गया तथा तालाब के चारों ओर सौन्दर्यकरण के लिए कहा गया, जिनके सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित समस्त 11 सदस्यों के द्वारा ग्रामवासियों की मांग के दृष्टिगत तालाब का पानी निकालने व आगे मछली पालन का पट्टा न दिये जाने तथा तालाब का सौन्दर्यकरण कराने का आश्वासन दिया गया।

अतः उक्तानुसार आख्या महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी,
बिजनौर।

पत्रांक / ई0 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

01-मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।

02-सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रावि0), बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दिनांक 22.05.2025 से पूर्व उक्त आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

03-क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित आप सम्बन्धित पटल सहायक को सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रावि0), बिजनौर के साथ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में समस्त अभिलेखों के साथ सहयोग हेतु भेजना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक: 603 / सात पं०-शि०-जॉच / 2025-26

दिनांक:- 16 मई, 2025

- 01- मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
- 02- अध्यक्ष, आई०एम०ए०, बिजनौर।
- 03- उप कृषि निदेशक, बिजनौर।
- 04- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
- 05- अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद।
- 06- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बिजनौर।
- 07- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र, बिजनौर।
- 08- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।
- 09- मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिजनौर।
- 10- सहायक निदेशक मत्स्य, बिजनौर।
- 11- श्री दीपक कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर कैमिस्ट्री डिपार्टमेन्ट, विवेक कॉलेज, बिजनौर।

कृपया संवाद न्यूज एजेंसी के माध्यम से प्रकाशित समाचार शीर्षक "नरगदी गंधु में 30 महीने में कैंसर से 18 मौत, एनजीटी हुआ सख्त" में उल्लिखित है कि विकास खण्ड नहतौर के गांव नरगदी गंधु के ग्रामीण करीब 30 माह से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। अब तक इस गांव में 18 लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है। उक्त प्रकरण एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 21-01-2025 से आच्छादित है। **इस सम्बन्ध में दिनांक 19-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे से ग्राम नरगदी गंधु में एक कैम्प का आयोजन किया जायेगा**, जिसमें सभी विभागीय अधिकारीगण अपने से सम्बन्धित बिन्दू पर ग्रामवासियों से विस्तार से वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तदोपरान्त स्थलीय जॉच/तथ्यात्मक विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।

अतः उक्त पेपर कटिंग व प्रकरण से सम्बन्धित अन्य शिकायती प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्त निर्धारित तिथि दिनांक 19-05-2025 को समय से ग्राम में पहुँच कर कैंसर की बीमारी के कारणों के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर जॉच कर अपनी तथ्यात्मक/विश्लेषणात्मक आख्या अधोहस्ताक्षरी को कैम्प तिथि से 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न- यथोपरि।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक: 603 / ई० दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
- 2- उप जिलाधिकारी, धामपुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर को अनुश्रवण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- खण्ड विकास अधिकारी, नहतौर को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय कर कैम्प के आयोजन हेतु समस्त आवश्यक तैयारियों ससमय कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी, बिजनौर।

9 कार्यवृत्त

ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु विकास खण्ड नहतौर जनपद बिजनौर में कैंसर की बीमारी से 18 व्यक्तियों की मृत्यु सम्बन्धी प्रकरण में एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.01.2025 के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, महोदया जनपद बिजनौर के कार्यालय पत्रांक 603/सात-पं0 शि07जांच/2025-26 दिनांक 16.05.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 19.05.2025 को प्रातः 10 बजे से ग्राम नरगदी गन्धु के पंचायत भवन में ग्रामवासियों की उपस्थिति में एक कैंप का आयोजन किया गया जिसमें सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण द्वारा अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर ग्रामवासियों से वार्ता कर चर्चा की गयी। ग्रामवासियों की समस्या को सुना गया विभागवार कैंप में कृत कार्यवाही की आख्या निम्न है:-

1 स्वास्थ्य विभाग:- स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर, जिला मलेरिया अधिकारी, बिजनौर चिकित्सकों की टीम के साथ कैंप में उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी कि ग्राम में 18 लोगों की मृत्यु कैंसर से होना बताया जा रहा है जबकि स्वास्थ्य विभाग में सर्वे में कैंसर से मृत्यु संबंधी 02 लोगों की रिपोर्ट ही मिल पायी है मृतकों में अधिकांश 50-55 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे। मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर एवं टीम के सदस्यों के द्वारा कैंसर की बीमारी के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी तथा मौके पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।




कृषि विभाग:- कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा उपस्थित रहे। सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा के द्वारा पेस्टिसाइड/कीटनाशकों के फसलों में प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तार से प्रयोग करने के लिए कहा गया। फसलों में जैविक खाद का अधिकाधिक उपयोग प्रोत्साहन हेतु कहा गया।

3 पशु चिकित्सा विभाग:- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर तथा पशु चिकित्सा अधिकारी, नहतौर उपस्थित रहे उनके द्वारा पशुओं की बीमारी व उपचार आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए ग्रामवासियों से पशुओं के सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण हेतु सम्पर्क करने के लिए कहा गया।

4 भूगर्भ जल विभाग:- श्री विवेक कुमार अवर अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग मुरादाबाद के द्वारा भूगर्भ जल के सम्बन्ध में वार्ता की गयी उनके द्वारा बताया गया कि तालाब में मछली पालन होना भूगर्भ जल दूषित होने का कोई कारण नहीं होता है।

5 जल निगम:- श्री अक्षय कुमार सहायक अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि हैण्डपम्पों तथा तालाब आदि के पानी का परीक्षण कराया गया है। परीक्षण सभी पैरामीटर मानक के अनुसार पाये गये तथा किसी भी प्रकार का कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व नहीं पाये गये। साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि ग्राम नरगदी गन्धु में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा स्वच्छ पेयजल की सप्लाई ग्राम नरगदी गन्दू में आरम्भ करा दी गयी है। इस प्रकार ग्राम नरगन्दी गन्दू के ग्रामवासियों को पेयजल टंकी से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति आरम्भ हो गयी है।



6 जल निगम:- श्री अक्षय कुमार सहायक अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि हैण्डपम्पों तथा तालाब आदि के पानी का परीक्षण कराया गया है। परीक्षण सभी पैरामीटर मानक के अनुसार पाये गये तथा किसी भी प्रकार का कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व नहीं पाये गये। साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि ग्राम नरगदी गन्धु में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एक सप्ताह के भीतर पानी की सप्लाई शुरू करा दी जायेगी। इस प्रकार ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल की सप्लाई सुचारु हो जायेगी।

7 उद्योग विभाग:- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमीयता प्रोत्साहन केन्द्र बिजनौर से सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से संदीप कुमार उपस्थित रहे। इनके द्वारा जानकारी दी गयी कि ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु के आस-पास कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। तथा औद्योगिक प्रदूषण नहीं है।

8 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर:- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर से आशीष शर्मा, अवर अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम नरगदी गन्धु के आस-पास कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है न ही कोई औद्योगिक प्रदूषण की समस्या है।

9 खाद्य सुरक्षा विभाग:- श्री नरेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे जिनके द्वारा ग्राम वासियों को जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग न करने एवं पान, बीडी, गुटखा तम्बाकू से परहेज रखने के निर्देश दिये तथा ग्राम वासियों को बताया कि घर का स्वच्छ एवं ताजा भोजन करने से कैंसर रोगों से बचा जा सकता है।

10 मत्स्य विभाग बिजनौर:- श्री अरुण कुमार, मत्स्य विभाग के द्वारा बताया गया कि मछली पालन से तालाब का पानी स्वच्छ होता है तथा मछली पालन वाले तालाब के पानी से कैंसर की बीमारी होना सम्भावित नहीं है।

11 श्री दीपक कुमार अस्टिन्ट प्रोफेसर कैमेस्ट्री डिपार्टमेन्ट विवेक कॉलेज बिजनौर उपस्थित रहे जिनके द्वारा ग्राम नरगदी गन्धु में लगे दो मोबाईल सिग्नल टॉवरों के सम्बन्ध में ग्रामीणों के बताने पर मौके पर निरीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मोबाईल सिग्नल टॉवरों से कैंसर बीमारी के सम्बन्ध में कोई भूमिका नहीं है। जल निगम विभाग द्वारा तालाब के पानी का परीक्षण रिपोर्ट को भी श्री दीपक कुमार के द्वारा देखा गया। रिपोर्ट में ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिसमें तालाब के पानी से कैंसर की बीमारी सम्भावित हो।

ग्रामवासियों द्वारा भविष्य में तालाब का मछली पालन का पट्टा न करने तथा तालाब का पानी वर्ष में एक बार पूर्ण रूप से निकालने के लिए कहा गया तथा तालाब के चारों ओर

सौन्दर्यकरण के लिए कहा गया। जिनके सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित जिला पंचायत राज अधिकारी महोदया, बिजनौर व खण्ड विकास अधिकारी, नहतौर के द्वारा ग्रामवासियों की मांग के दृष्टिगत तालाब का पानी निकालने व आगे मछली पालन का पट्टा न दिये जाने तथा तालाब का सौन्दर्यकरण कराने का आश्वासन दिया गया।

उपरोक्तानुसार कैम्प कार्यवृत्ति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 27/5/25
 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
 बिजनौर

20/5/25
 जिला पंचायत राज अधिकारी
 बिजनौर

ADPRO
 19-05-2025
 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
 नहतौर, बिजनौर (उओप्रओ)

ASST Professor
 Dep. of Science (Chemistry)

आरुण
 F.D.O.
 म.च.प. बिजनौर

स्थापक अग्रिमन्ता
 जल निगम जलमीष
 20/5/25

(J.E.)
 उ.प्र. उद्भव नियंत्रण
 बोर्ड, बिजनौर

2/PSO
 20/5/25

अ.प्र. रिजर्व
 अग्रहप्त.

च.प्र. रिजर्व
 अग्रहप्त.

प्रेषक,
जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,
जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक- 126/N-61/जनरल-2025

दिनांक- 01-05-2025

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में Misc Application in Disposed of cases no.-11/2025, In Original Application no.-588/2024, Abid V/s state of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक-21.01.2025 के संबंध में।

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में Misc Application in Disposed of cases no.-11/2025, In Original Application no.-588/2024, Abid V/s state of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक-21.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त के संबंध में कार्यालय उप जिलाधिकारी, धामपुर, बिजनौर के पत्रांक-2476/ उ0जि0अ0-एस0टी0-2025.04.25, दिनांक-25.04.2025 के माध्यम से ग्राम पंचायत नरगदी गंधू, विकास खण्ड-नहतौर, जनपद-बिजनौर में स्थित तालाब एवं घरेलू जल-मल (सीवेज) के संबंध में संयुक्त जांच आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-21.01.2025 के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण की विस्तृत जांच आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोपरि।

13/05/25
जिला पंचायत
बिजनौर
25.05.25

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धामपुर(बिजनौर)

पत्रांक २५७६/उ०जि०अ०-एस०टी०-२०२५.०४.२५

दिनांक २५.०५.२०२५

विषय:- ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू विकास खण्ड नहतौर जनपद बिजनौर के तालाब के पानी से प्रदूषण सम्बन्धित एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी बिजनौर

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सख्या 1206/एन -61/ जनरल- 2025 दिनांक 11.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में Mis Application in Disposed of cases no- 11/2025, In original Application no- 588/2024m Abid V/s state of U.P& ors. में पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 जिसके मुख्य अंश निम्नवत है।

The present M.A. is disposed of with directions of the District Magistrate, Bijnor to take requisite remedial action regarding cleaning and restoration/rejuvenation of the pond and treatment of domestic sewage before discharge into the main drain and utilization thereof for agriculture/horticultural purposes within three months. And file further action taken report within next one month before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions.....

के परिपालन में कार्यवाही करते हुए एक माह में वस्तुस्थिति एवं Action takler report से अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया था। जिसके क्रम में वस्तुस्थिति एवं Action takler report निम्नवत है।

उपरोक्त तालाब तहसील धामपुर के ग्राम नरगदी गन्धू के खसरा सख्या 169 एवं 182 में तालाब के आस-पास स्थित गांव के घरों का घरेलू जल-मल/सीवेज का पानी तालाब में न जाये इस हेतु ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू द्वारा प्रथक से नाली का निर्माण करा दिया गया है जिसमें दो स्थानों पर सिल्ट केचर भी बनाये गये हैं तथा उक्त नाली पूर्व से निर्मित मुख्य नाले से जोड दी गयी है। जिससे मौके पर अब नाली के माध्यम से घरों से निकले जल-मल/सीवेज पानी की निकासी सूचारु रूप से हो रही है। ग्राम नरगदी गन्धू के घरों का घरेलू जल-मल/सीवेज का पानी प्रश्नगत तालाब में अब नहीं जा रहा है। तालाब के पानी का सैम्पल अधिशासी अभियन्ता जल निगम, ग्रामीण बिजनौर के द्वारा टैस्टिंग हेतु लिया गया

५

R

e

था जिसमें टैस्टिंग के उपरान्त तालाब के पानी में कैंसर फैलाने वाला बैक्टीरिया नहीं पाया गया था (टैस्टिंग रिपोर्ट संलग्न है)। प्रधान व सचिव द्वारा बताया गया कि विगत 2-3 वर्षों से ग्राम में कैंसर की बीमारी सम्बन्धी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। पूर्व में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कैंसर से हुई है जो अन्य कारणों से होने की सम्भावना बतायी गयी है। तालाब के आस-पास स्थित घरों जल-मल/सीवेज के पानी की निकासी हेतु बनायी गयी नाली की नियमित सफाई कराई जा रही है जिससे घरों का गंदा पानी तालाब में नहीं जा रहा है। वर्षा ऋतु में तालाब के चारों ओर वृक्षा रोपण कराया जाना भी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, द्वारा दिनांक 21.01.2025 को पारित आदेश के क्रम में वस्तुस्थिति/Action takler report महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।


खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड नहतौर


जिल्ला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर


उपजिलाधिकारी
धामपुर



अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) विजनौर
लडापुरा वाटर वर्क के निकट, झालू रोड, विजनौर (उ०प्र०)
(दूरभाष/फैवरा : 01342-252649)

E-mail : ee_bjn_cdupjn@yahoo.co.in

पत्रांक 2199 / जल परीक्षण / 91

दिनांक-01.09.2024

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी

(विजनौर)

विषय- ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू ब्लॉक नहतौर में तालाब/हैण्डपम्प के जल नमूनों की जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक सं० 473/N-61/जनरल-2024 दिनांक 29/07/2024 के द्वारा ग्राम नरगदी गन्धू, वि०ख० नहतौर में माननीय एन०जी०टी० दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/07/2024 के सन्दर्भ में ग्राम में अनट्रीटिड सीवेज एवं तालाब के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में एक जाँच समिति बनायी गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया था कि ग्राम पंचायत नरगदी गन्धू ब्लॉक नहतौर में तालाब व हैण्डपम्प के जल नमूनों की जाँच करानी है, जिसके फलस्वरूप जनपदीय स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) विजनौर द्वारा जल नमूने एकत्रित कर जनपदीय स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) विजनौर में जाँच किये गये तथा Heavy Metals की जाँच Ghaziabad Testing laboratories Pvt.Ltd. द्वारा करायी गयी है।

उक्त जल नमूनों की जाँच रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


(राकेश चौधरी)

अधिशारी अभियन्ता

प्रतिलिपि-

1. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुरादाबाद।
2. जिलाधिकारी महोदय, विजनौर।
3. उपजिलाधिकारी महोदय, धामपुर।
4. स० अभि० (लैब)/जू० इ०(लैब) खण्डान्तर्गत।


अधिशारी अभियन्ता



Analysis Report

District Level Water Analysis Laboratory U.P., Jal Nigam Bijror


Report No. 557	Date	Page No.	
Customer Details			
Office Name and Address			
Ref Letter No & date			
Basic details of sample			
District	बिजनौर	Block	नहरी
Gram Panchayat	नरगरी नवादा	Village	नरगरी नवादा
Habitation		Location	नरगरी के घर के पास लगा हैण्ड पम्प
Water Source	हैण्ड पम्प	Sample No.	BJ/557
Quantity of Sample	1 Lt	Date of S.C	20.08.2024
Receiving Date	20/08/2024	Sample Collector	Vishal Kumar
Sample Deposit	20/08/2024	Sampling Method Used	IS 17614 (Part 1):2021
Analysis	CHEMIST		
Analysis Start Date	20/08/2024	Analysis Completion date- 21/08/2024	
Environmental Condition			
Temperature	25±3°C	Relative Humidity	Upto 50±15

S.R	Analyzed Parameters (Unit of Measurement)	Observed Value	Specified Values as per IS 10500:2012		Ref Method of Analysis
			Acceptable Limit	Permissible Limit	
1	2	3	4	5	6
2	pH	7.441	6.5-8.5	6.5-8.5	IS 3025 P-11:2022
3	Turbidity (NTU)	1.95	1.0	5.0	IS 3025 P-10:2023
4	TDS(mg/l)	164.0	500	2000	IS 3025 P-16:2023
5	Chloride(mg/l)	10.0	250	1000	IS 3025 P-32:2019
6	Total Alkalinity(mg/l)	170.0	200	600	IS 3025 P-23:2023
7	Total Hardness(mg/l)	156.0	200	600	IS 3025 P-21:2019
8	Calcium(mg/l)	37.44	75	200	IS 3025 P-40:2019
9	Magnesium (mg/l)	15.55	30	100	IS 3025 P-46:2019
10	Nitrate (mg/l)	0.45	45	45	Apha24 th edition -4500 NO ₃ ⁻ Method B (UV Screening Method):2023
11	Sulphate (mg/l)	5.63	200	400	Apha24 th edition-4500 SO ₄ ⁻² Method E (Turbidimetric Method):2023
12	Iron (mg/l)	0.21	1.0	1.0	Apha 24 th edition -3500 Fe method B (Phenanthroline Method):2023
13	Fluoride(mg/l)	0.064	1.0	1.5	Apha24th edition-4500 F Method C (Electrode method):2023
14	E.coli	Not found	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016
15	Total Coliform	Not found	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016

Note -

1. This Certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing.
2. This Certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from Head of Laboratory.
3. The test results reported in this certificate are valid at the time of send under the stated conditions of measurements.
4. Sample will be stored up to 7 days, (in case of non-perishable items only) from the date of issue of tests report unless.

prepared By: Lab Technician


 Authorized Signatory
 Technical Manager
 (Microbiological)


 Authorized Signatory
 Technical Manager
 (Chemical)

End of Report



Analysis Report

District Level Water Analysis Laboratory U.P, Jal Nigam Bijnor

Report No. 558	Date	Page No.	
Customer Details			
Office Name and Address			
Ref Letter No & date			
Basic details of sample			
District	बिजनौर	Block	नहरौर
Gram Panchayat	नरगदी नवादा	Village	नरगदी नवादा
Habitation		Location	रोसा के घर के पास लगा हैण्ड पम्प
Water Source	हैण्ड पम्प	Sample No.	BJ/558
Quantity of Sample	1 Lt	Date of S.C	20.08.2024
Receiving Date	20/08/2024	Sample Collector	Vishal Kumar
Sample Deposit	20/08/2024	Sampling Method Used	IS 17614 (Part 1):2021
Analysis	CHEMIST		
Analysis Start Date	20/08/2024	Analysis Completion date- 21/08/2024	

Environmental Condition			
Temperature	25±3°C	Relative Humidity	Upto 50±15

S R	Analyzed Parameters (Unit of Measurement)	Observed Value	Specified Values as per IS 10500:2012		Ref Method of Analysis
			Acceptable Limit	Permissible Limit	
1	2	3	4	5	6
2	pH	7.531	6.5-8.5	6.5-8.5	IS 3025 P-11:2022
3	Turbidity (NTU)	2.37	1.0	5.0	IS 3025 P-10:2023
4	TDS(mg/l)	148.0	500	2000	IS 3025 P-16:2023
5	Chloride(mg/l)	11.0	250	1000	IS 3025 P-32:2019
6	Total Alkalinity(mg/l)	150.0	200	600	IS 3025 P-23:2023
7	Total Hardness(mg/l)	148.0	200	600	IS 3025 P-21:2019
8	Calcium(mg/l)	35.81	75	200	IS 3025 P-40:2019
9	Magnesium (mg/l)	14.58	30	100	IS 3025 P-46:2019
10	Nitrate (mg/l)	0.49	45	45	Apha24 th edition -4500 NO ₃ ⁻ Method B (UV Screening Method):2023
11	Sulphate (mg/l)	6.64	200	400	Apha24 th edition-4500 SO ₄ ⁻ Method E (Turbidimetric Method):2023
12	Iron (mg/l)	0.24	1.0	1.0	Apha 24 th edition -3500 Fe method B (Phenanthroline Method):2023
13	Fluoride(mg/l)	0.068	1.0	1.5	Apha24th edition-4500 F Method C (Electrode method):2023
14	E.coli	Not found	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016
15	Total Coliform	Not found	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016

Note -

- This Certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing.
- This Certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from Head of Laboratory.
- The test results reported in this certificate are valid at the time of send under the stated conditions of measurements.
- Sample will be stored up to 7 days. (in case of non-perishable items only) from the date of issue of tests report unless.

prepared By:  Lab Technician


Authorized Signatory
Technical Manager
(Microbiological)


Authorized Signatory
Technical Manager
(Chemical)

End of Report



Analysis Report

District Level Water Analysis Laboratory U.P., Jal Nigam Bijnor

Report No. 559 Date Page No.

Customer Details

Office Name and Address

Ref Letter No & date

Basic details of sample

District	बिजनौर	Block	नहटौर
Gram Panchayat	नरगदी नवादा	Village	नरगदी नवादा
Habitation		Location	सुदेश के घर के पास लगा हैण्ड पम्प
Water Source	हैण्ड पम्प	Sample No.	BJ/559
Quantity of Sample	1 Lt	Date of S.C	20.08.2024
Receiving Date	20/08/2024	Sample Collector	Vishal Kumar
Sample Deposit	20/08/2024	Sampling Method Used	IS 17614 (Part 1):2021
Analysis	CHEMIST		
Analysis Start Date	20/08/2024	Analysis Completion date- 21/08/2024	

Environmental Condition

Temperature	25±3°C	Relative Humidity	Upto 50±15
-------------	--------	-------------------	------------

S.R	Analyzed Parameters (Unit of Measurement)	Observed Value	Specified Values as per IS 10500:2012		Ref Method of Analysis
			Acceptable Limit	Permissible Limit	
1	2	3	4	5	6
2	pH	7.687	6.5-8.5	6.5-8.5	IS 3025 P-11:2022
3	Turbidity (NTU)	4.57	1.0	5.0	IS 3025 P-10:2023
4	TDS(mg/l)	157.0	500	2000	IS 3025 P-16:2023
5	Chloride(mg/l)	13.0	250	1000	IS 3025 P-32:2019
6	Total Alkalinity(mg/l)	140.0	200	600	IS 3025 P-23:2023
7	Total Hardness(mg/l)	160.0	200	600	IS 3025 P-21:2019
8	Calcium(mg/l)	40.70	75	200	IS 3025 P-40:2019
9	Magnesium (mg/l)	14.58	30	100	IS 3025 P-46:2019
10	Nitrate (mg/l)	1.76	45	45	Apha24 th edition -4500 NO ₃ Method B (UV Screening Method):2023
11	Sulphate (mg/l)	6.37	200	400	Apha24 th edition-4500 SO ₄ Method E (Turbidimetric Method):2023
12	Iron (mg/l)	0.28	1.0	1.0	Apha 24 th edition -3500 Fe method B (Phenanthroline Method):2023
13	Fluoride(mg/l)	0.074	1.0	1.5	Apha24th edition-4500 F Method C (Electrode method):2023
14	E.coli	Not found	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016
15	Total Coliform	Not found	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016

Note -

- This Certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing.
- This Certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from Head of Laboratory.
- The test results reported in this certificate are valid at the time of send under the stated conditions of measurements.
- Sample will be stored up to 7 days. (in case of non-perishable items only) from the date of issue of tests report unless.

prepared By: Lab Technician

Authorized Signatory
Technical Manager
(Microbiological)

Authorized Signatory
Technical Manager
(Chemical)

End of Report



Analysis Report

District Level Water Analysis Laboratory U.P, Jal Nigam Bijnor

Report No. 560	Date	Page No.	
Customer Details			
Office Name and Address			
Ref Letter No & date			
Basic details of sample			
District	बिजनौर	Block	नहरौर
Gram Panchayat	नरगदी नवादा	Village	नरगदी नवादा
Habitation		Location	तालाब waste water
Water Source	तालाब waste water	Sample No.	BJ/560
Quantity of Sample	1 Lt	Date of S.C	20.08.2024
Receiving Date	20/08/2024	Sample Collector	Vishal Kumar
Sample Deposit	20/08/2024	Sampling Method Used	IS 17614 (Part 1):2021
Analysis	CHEMIST		
Analysis Start Date	20/08/2024	Analysis Completion date- 21/08/2024	

Environmental Condition			
Temperature	25±3°C	Relative Humidity	Upto 50±15

S.R	Analyzed Parameters (Unit of Measurement)	Observed Value	Specified Values as per IS 10500:2012		Ref Method of Analysis
			Acceptable Limit	Permissible Limit	
1	2	3	4	5	6
2	pH	8.110	6.5-8.5	6.5-8.5	IS 3025 P-11:2022
3	Turbidity (NTU)	29.60	1.0	5.0	IS 3025 P-10:2023
4	TDS(mg/l)	199.0	500	2000	IS 3025 P-16:2023
5	Chloride(mg/l)	31.0	250	1000	IS 3025 P-32:2019
6	Total Alkalinity(mg/l)	135.0	200	600	IS 3025 P-23:2023
7	Total Hardness(mg/l)	124.0	200	600	IS 3025 P-21:2019
8	Calcium(mg/l)	24.42	75	200	IS 3025 P-40:2019
9	Magnesium (mg/l)	15.55	30	100	IS 3025 P-46:2019
10	Nitrate (mg/l)	18.74	45	45	Apha24 th edition -4500 NO ₃ Method B (UV Screening Method):2023
11	Sulphate (mg/l)	27.02	200	400	Apha24 th edition-4500 SO ₄ Method E (Turbidimetric Method):2023
12	Iron (mg/l)	0.64	1.0	1.0	Apha 24 th edition -3500 Fe method B (Phenanthroline Method):2023
13	Fluoride(mg/l)	0.126	1.0	1.5	Apha24th edition-4500 F Method C (Electrode method):2023

Note -

1. This Certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing.
2. This Certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from Head of Laboratory.
3. The test results reported in this certificate are valid at the time of send under the stated conditions of measurements.
4. Sample will be stored up to 7 days. (in case of non-perishable items only) from the date of issue of tests report unless.

prepared By: Lab Technician

Amit

Authorized Signatory
Technical Manager
(Microbiological)

Amit

Authorized Signatory
Technical Manager
(Chemical)

Vijay

GTL



**GHAZIABAD TESTING
LABORATORIES PVT. LTD.**

TEST REPORT

ULR No: TC-1170724100000289F

Issued To,
Jal Nigam
Bihar

Report No. : 100-240823-289
Report Date : 28/08/2024
Sample Received On : 23/09/2024
Analysis Date : 23/09/2024 to 27/09/2024
Report Prepared On : 28/08/2024
Sampled By : Customer

Sample Description
Location

: Waste Water
: Nargadi (Talab) Gram- Nargadi Navad Block-Nahtaur
District- Bihar

Condition of the sample on receipt

: Received in good condition

Page 1 of 1

S. No.	Parameters	Unit	Test Method	Limits	Result
1	Iron (as Fe)	µg/l	IS 3025 (F 11)	3000 Max	150.2
2	Arsenic (as As)	µg/l	IS 3025 (F 13)	200 Max	BLO (LOQ-1.0)
3	Copper (as Cu)	µg/l	APHA-3125 E-23	3000 Max	101.2
4	Lead (as Pb)	µg/l	APHA-3125 F-23	100 Max	10.2
5	Mercury (as Hg)	µg/l	APHA-3125 B	10.0 Max	BLO (LOQ-0.05)

Note:

- ❖ This Test report conforms to above test parameters only submitted for testing
- ❖ Deviation Table applied, Yes/No
- ❖ The sample description is verified in all phases and is given as described by the customer.
- ❖ Samples not drawn from and the analysis conducted on received basis unless specified otherwise
- ❖ Tested sample will be discarded within 7 days from the date of issue of test report unless specified by customer
- ❖ Complaint about this report should be communicated in writing within seven days of issue date of this report
- ❖ This report is not to be used as evidence in part and cannot be used as an evidence in the Court of law and shall not be used in the advocacy of any case without our prior permission from the Director.
- ❖ Laboratory shall maintain the confidentiality of all information related to the samples & Test Reports.

+91-120-3116001 +91 120-3115683 +91-120-2866108

Info@gtllab.org www.gtllab.org

AO-150 Anni Steel Compound South Side G.T. Road Indl Area Ghaziabad-201001 UP, India



GTL



GHAZIABAD TESTING LABORATORIES PVT. LTD.

TEST REPORT
UR No: TC-1170724100000290E

Issued To:
 Jit Nisham
 E. No:

Report No. : 100-240823-290
 Report Date : 28/08/2024
 Sample Received On : 23/08/2024
 Analysis Date : 23/08/2024 to 27/08/2024
 Report Prepared On : 28/08/2024
 Sampled By : Customer

Sample Description : Drinking Water
 Location : Subhadra Ghatke Ghatke Pass Sarkari Handpump, Gram- Nargadi Nawa in Block-Nahlaur, District-Bijnor
 Condition of the sample on receipt : Received in good condition

Page 1 of 1


S. No.	Parameters	Unit	Test Method	Limits	Result
1	Iron (as Fe)	µg/l	IS 3025 (P-53)	300 Max	BLQ (LOQ-100)
2	Arsenic (as As)	µg/l	APHA 3105 B	10.0 Max	BLQ (LOQ-1.0)
3	Copper (as Cu)	µg/l	IS 3025 (P-05)	50.0 Max	BLQ (LOQ-2.0)
4	Lead (as Pb)	µg/l	APHA 3105 B	10.0 Max	BLQ (LOQ-1.0)
5	Mercury (as Hg)	µg/l	IS 3025 (P-48)	1.0 Max	BLQ (LOQ-0.05)

Notes:

- ✦ This Test report conforms to those test parameters only submitted for testing.
- ✦ Revision rule applied: Yes/No
- ✦ The sample description is verified in all cases and is given as described by the customer.
- ✦ Samples not drawn by us and the analysis conducted as received basis unless specified otherwise.
- ✦ Tested sample will be disposed off within 30 days from the date of issue of test report unless until specified by customer.
- ✦ Complaint about this report should be communicated to us within seven days of issue date of this report.
- ✦ This report is not to be reproduced in full or in part and cannot be used as an evidence in the Court of law and should not be used in any other legal proceedings without our prior permission from the Director.
- ✦ Laboratory shall maintain the confidentiality of information related to the samples & Test Reports.

Handwritten signature

+91-120-3116001 +91-120-3115683 +91-120-2866108
 info@gtllab.org www.gtllab.org
 AO-150, Amrit Steel Compound South Side, G T Road Indl Area, Ghaziabad-201001 UP, India



GTL



**GHAZIABAD TESTING
LABORATORIES PVT. LTD.**

TEST REPORT

ULR No: TC-1170724100000291E

Issued To,

Report No. : 100-240823-291
 Report Date : 28/08/2024
 Sample Received On : 23/08/2024
 Analysis Date : 23/08/2024 to 27/08/2024
 Report Prepared On : 28/08/2024
 Sampled By : Customer

Sample Description
 Location

: Drinking Water
 : Mamraj ke Char ke Pass Sarkari Handpump, Gram-
 Nargadi Nawada, Block-Nahaur, District- Bijnor
 : Received in good condition

Condition of the sample on receipt

Page 1 of 1

S. No.	Parameters	Unit	Test Method	Limits	Result
1	Iron (as Fe)	µg/l	IS 3025 (P 2)	300 Max	BLQ (LOQ-100)
2	Arsenic (as As)	µg/l	APHA-312 B	10.0 Max	BLQ (LOQ-1.0)
3	Copper (as Cu)	µg/l	IS:3025 (P 2)	50.0 Max	BLQ (LOQ-2.0)
4	Lead (as Pb)	µg/l	APHA-312 B	10.0 Max	BLQ (LOQ-1.0)
5	Mercury (as Hg)	µg/l	IS 3025 (P 2)	1.0 Max	BLQ (LOQ 0.05)

Note:

- ❖ This Test report conforms to above test parameters only submitted for testing.
- ❖ In case, code applied is **ISIRI**
- ❖ The sample description is verified in all cases and is given as described by the customer.
- ❖ Samples not drawn by us and for analysis conducted on received basis unless specified otherwise.
- ❖ Tested sample will be disposed off after 30 days from the date of issue of test report unless until specified by customer.
- ❖ Complaint about this report should be communicated to us within seven days of issue date of this report.
- ❖ This report is not to be reproduced in full or in part and cannot be used as an evidence in the Court of law and shall not be used in the electronic media without our prior permission from the Director.
- ❖ Laboratory shall maintain the confidentiality of all information related to the samples & Test Reports.

Handwritten signature

+91-120-3116001 +91-120-3115683, +91-120-2866108

Info@gtllab.org www.gtllab.org

AO-150, Amrit Steel Compound South Side, G T Road Indl Area Ghaziabad-201001 UP, India



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application in Disposed of Cases No. 11/2025
In
Original Application No. 588/2024

Abid

Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondents

Date of hearing: 21.01.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the applicant.

Respondents: None for the respondents.

ORDER

1. Mr. Abid, resident of Village Nargadi, Gandhu, Pargana Hattori, Tehsil Dhampur, District Bijnor, Uttar Pradesh had sent to this Tribunal a letter petition, which was treated and registered as O.A. No. 588/2024, complaining that there is a pond at khasra nos. 169 and 182 in the village which is being polluted by discharge of untreated sewage causing serious health hazards to the villagers.

2. The application was disposed of vide order dated 09.07.2024 whereby Joint Committee comprising District Magistrate, Bijnor and Uttar Pradesh State Pollution Control Board was directed to visit the site, collect relevant information and if it found any violation and pollution of

pond/water body in an illegal manner, to take appropriate preventive prohibitive, punitive and remedial action against violators and also for remediation of pond, in accordance with law, after giving opportunity of hearing to all concerned parties, within two months and file its report before Learned Registrar General of this Tribunal who was given liberty to place the matter before the Bench for further orders if necessary.

3. In compliance thereof report dated 08.10.2024 has been filed by Mr. Ankit Kumar Agrawal, District Magistrate, Bijnor. The relevant part of the report is reproduced below:-

“प्रकरण के सम्बन्ध में गठित संयुक्त जाँच समिति द्वारा प्रातः काल में ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु तालाब पर पहुँच कर जाँच की गयी। जाँच आँख्या निम्नवत है:-
उपरोक्त तालाब तहसील धामपुर के ग्राम नरगदी गन्धु के खसरा संख्या 169 एवं 182 में तालाब के आसपास स्थित गांव के घरों का घरेलू जल मल/सीवेज का पानी तालाब में न जाये इस हेतु ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु द्वारा पृथक से नाली का निर्माण करा दिया गया है तथा उक्त नाली पूर्व से निर्मित मुख्य नाले से जोड़ दी गयी है। जिससे मौके पर अब नाली के माध्यम से पानी की निकासी सुचारू रूप से हो रही है। ग्राम नरगदी गन्धु के घरों का घरेलू जल मल/सीवेज का पानी प्रश्रुगत तालाब में नहीं जा रहा है।
उपरोक्तानुसार आँख्या आपके अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।”

4. Since, learned Registrar General of this Tribunal considered passing of further orders by this Tribunal to be necessary, the matter has been listed before the Bench for further orders.

5. It is evident from the report that action has been taken only for diverting discharge of domestic sewage to the main drain in order to prevent discharge of the same in the pond but requisite remedial measures for cleaning and restoration/rejuvenation of the pond and treatment of domestic sewage before discharge into the main drain and utilization thereof for agricultural/horticultural purposes have not been taken.

6. The present M.A. is disposed of with directions to the District Magistrate, Bijnor to take requisite remedial action regarding cleaning and restoration/rejuvenation of the pond and treatment of domestic sewage before discharge into the main drain and utilization thereof for agricultural/horticultural purposes within three months. and file further action taken report within next one month before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions.

7. A copy of this order be sent to the District Magistrate, Bijnor by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 21st, 2025
Misc Application in Disposed of Cases No. 11/2025
In Original Application No. 588/2024
AG